कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 218 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–3-7 2022.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118ह0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–1672/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–06.01.2022, पत्रांक–3020/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–16.06.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–3275/11–सी– एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/44753/2020 दिनांक–02.05.2022 तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांशमिशन लि0, गाजीपुर का पत्रांक–1467/वि0प्रे0ख0(गा)/दिनांक–22.06.2022.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–1672/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–06.01.2022 द्वारा उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा 13 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए आपत्ति का निराकरण करनें का निर्देश दिया गया, जिसके कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–3020/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–16.06.2022 द्वारा बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण करनें हेतु प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांशमिशन लि0, गाजीपुर) से अनुरोध किया गया, प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1467/वि0प्रे0ख0(गा) /दिनांक –22.06.2022 द्वारा बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण करते हुए रिपोर्ट (मय संलग्नक सहित) इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार हैः–

	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव मे संलग्न संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में लीज समाप्त होने की तिथि गलत अंकित की गयी है। अतः सही तिथि अंकित कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में लीज समाप्त होने की तिथि को सही अंकित करके संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र (04 प्रतियो में) इस पत्र के साथ संलग्न है।
2	प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा उल्लंघन न किया जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में लीज अवधि दिनांक 01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रयोक्त एजेंसी	इस बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ''400 के0वी0 ओबरा ली0लाठे डबल सार्किट विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु ओबरा वन प्रभाग में 19.968 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र सं0

	द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात भी वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु उपयोग किया गया है अतः उल्लघंन के सम्बन्ध में सही स्थिति का उल्लेख करते हुए संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	8बी/04/1692/98/एफ0सी0 दि0 08.03.1999 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। जिसमे कोई समय सीमा वर्णित नही है, तत्क्रम में उप साचिव उ0प्र0 शासन के आदेश सं0 जी0आई0/322/14.02.1999/700(2)/97 दिनांक 1 अक्टूबर 1999 द्वारा उक्त विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 19.968 हे0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को लीज पर हस्तान्तरित किया गया था। जिसकी लीज अवधि दि0 01.10.2019 को समाप्त हो चुका है। जिसके पश्चात पुनः लीज नवीनीकरण कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव जमा करा दिया गया था तथा वर्ष 2019 से अब तक इस कार्यालय द्वारा उक्त वन भूमि का वांछित लीज रेन्ट मॉग पत्र के अनुसार नये सर्किल दर से लीज रेन्ट भी ससमय जमा किया जाता रहा है। चूँकि भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/04/1692/98/एफ0सी0 दि0 08.03.1999 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नही है एवं वर्ष 2019 से अब तक नये सर्किल दर से लीज रेन्ट भी ससमय जमा किया जाता रहा है। जिस कारण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–01.10.2019 के पश्चात भी उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन न माना जाये।'' समविषयक प्रकरण (400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन) में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ''चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0

		की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा उल्लंघन न किया जाने का उल्लेख किया गया है, उचित प्रतीत होता है।
3	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक –343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में प्रयाक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11–सी दिनांक–14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (04 प्रतियो में) इस पत्र के साथ संलग्न है।
4	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	बिन्दु सख्या 4,5,6,7,8,9 के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त लाइन में प्रभावित वन भूमि 19.968 हे0 के लीज के समय 19.968 हे0 गैर वन भूमि तथा उक्त गैर वन भूमि पर वनीकरण हेतु रू0 8,55,968.00 मात्र प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर को उपलब्ध करा दी गयी थी (पत्र संलग्न)। वर्तमान में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जाना है, जिस कारण क्षतिपूरक वनीकरण की देयता नहीं बनती है।
5	प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव में में संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	
6	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औशधीय) पौधे के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced digital Map प्रस्ताव में संलग्न नही है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	
8	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित 1:50000 माप की रगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न नही है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	

9	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नही है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	
10	प्रस्ताव में संलग्न किया गया एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार नही है। अतः संषोधित दर के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें तथा पूर्व का Additional Information Detail से डिलिट करें।	भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 के द्वारा संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न कर चार प्रतियों में प्रेषित है।
11	प्रस्ताव में सेन्चुरी/वन्य जीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर का इका सेन्सिटिव जोन का गजट संलग्न नही किया गया है।	कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर के इको सेन्सिटिव का गजट (04 प्रतियो में) इस पत्र के साथ संलग्न है।
12	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक –5 में गलत डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 में सही डाटा फीड कर दिया गया है।
13	उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधन प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल भी हो, पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करे।	प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाईल इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निराकरण करते हुए, प्रस्ताव/अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव/अभिलेख की तीन प्रति आप अपने स्तर से उच्च स्तर पर प्रेषित करनें की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

Receipt 01/8/22 7505242892

O/C

F:\New Folder\AM-6.Docx